डीजी परिपत्र संख्या– 08 /2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002
दिनांकः लखनऊः फरवरी, 29/2024

विषयः विशेष आख्या अपराध(एस0आर0 केस) श्रेणी के अपराधों की पत्रावलियों एवं अपराध रजिस्टर को अद्यावधिक करते हुए अभिलेखीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश ।

———

प्रिय महोदया/महोदय

आप अवगत है कि जनपदों में घटित विशेष अपराध आख्या श्रेणी के अभियोगों का अभिलेखीकरण एवं प्रत्येक स्तर पर सुगमतापूर्वक पर्यवेक्षण किया जाना नितान्त आवश्यक है। पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर–101 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदों में घटित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों का विशेष अपराधों की श्रेणी में रखकर विशेष आख्या पत्रावली खोलकर जनपद/ कमिश्नरेट /परिक्षेत्र /जोन स्तर पर विवेचनात्मक कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था पूर्व से निर्धारित है। विषयांकित प्रकरण में मुख्यालय स्तर से आप समस्त के मार्ग–दर्शन एवं अनुपालन हेतु पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्र पूर्व से निर्गत हैं तथा विभिन्न गोष्ठियों में जानकारी एवं सुझाव समय–समय पर उपलब्ध कराये गये हैं।

डीजी परिपत्र सं0–67/2013 दिनांक 09.12.2013
डीजी परिपत्र सं0–19/2014 दिनांक 29.03.2014
डीजी परिपत्र सं0–53/2015 दिनांक 12.07.2015
डीजी परिपत्र सं0–54/2015 दिनांक 14.07.2015
डीजी परिपत्र सं0–06/2020 दिनांक 11.04.2020
डीजी परिपत्र सं0–17/2020 दिनांक 23.05.2020

2. पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अपराध रजिस्टर/एस0आर0 पत्रावली में अपने हस्तलेख में अंकन किये जाने की व्यवस्था पूर्व प्रचलित है, परन्तु पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा इन नियमों एवं परम्पराओं का अनुपालन समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अपराध रजिस्टर अथवा एस0आर0 पत्रावली पर विवेचना की दिशा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई सार्थक तथा स्पष्ट निर्देश अंकित नहीं किये जा रहे हैं।

3. अतएव यह आवश्यक है कि जनपद मे प्रचलित अपराध रजिस्टर/एस0आर0 पत्रावलियों को शीघ्रता से अद्यावधिक कर अभिलेखीकृत कर लिया जाय। जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थ जनपदों के अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त के स्तर से तैयार किये जा रहे अपराध रजिस्टर/एस0आर0 पत्रावली की अद्यावधिक स्थिति की समीक्षा स्वयं की जायेगी। मुख्यालय स्तर से आकस्मिक रूप से (Randomly) अपराध रजिस्टर/एस0आर0 पत्रावलियों की समीक्षा की जायेगी।

.....2

5. मैं अपेक्षा करता हूँ कि एस.आर. पत्रावलियों तथा अपराध रजिस्टर तैयार करने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से निर्गत पूर्व परिपत्रों का गहराई से अध्ययन करते हुये प्रत्येक जनपद में एक कार्यशाला आयोजित कर इन निर्देशों से जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को अवगत कराते हुए इनका कठोरता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

भवदीय

29.2.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1.अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश_।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश_।